कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 19.06.2018 द्वारा श्रीमती मोहिनी, प्रधानाचार्य–राउमावि मगने की ढाणी, जिला बाडमेर का स्थानान्तरण राउमावि–सोडियार जिला बाडमेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती मोहिनी द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकारण जयपुर में अपील सं. 2204/2018 मोहिनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील सं. 2204/2018 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.08.2018 द्वारा प्रार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र को बलहीन तथा सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के क्रम पर ही निस्तारित करते हुए अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत एवं विशिष्ट परेशानियों के बारे में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 22.08.2018 तक अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 07.09.2018 तक एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में केवल 8 माह बाद ही स्वयं को स्थानान्तरित किये जाने व स्थानान्तरित स्थान के दुर्गम तथा 60 किमी दूर होने व अपनी पारिवारिक समस्याओं के मद्देनजर अपना स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये जाने की परिवेदना की गई।

अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन व मनन किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थिया द्वारा धारित प्रधानाचार्य एवं समकक्ष स्तर का पद राज्य शिक्षा सेवा के राजपत्रित स्तर के अधिकारी का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक की सेवाऐं सरकार अथवा विभागाध्यक्ष राज्य में कहीं पर भी लेने हेतु सक्षम हैं। अपीलार्थिया को उनके गृह जिले बाडमेर में ही स्थानान्तरित किया गया है, किसी अन्य जिले में नहीं। अतः इस आधार पर चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाता है। अतः विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19.06.2018 की अनुपालना में श्रीमती मोहिनी, राउमावि–सोडियार जिला बाडमेर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/मोहिनी/अपील/2204/2018 दिनांक 13.08.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बाडमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–1/45001/अधिशेष–पदस्थापन/प्र.अ./2018 दिनांक 30.05.2018 द्वारा श्री लीलाधर, प्रधानाध्यापक, एपीओ–कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को काउन्सलिंग उपरान्त उनके सहमति पत्र में अंकित विकल्प के आधार पर रामावि–गिरावडी, जिला झुन्झुनु पदस्थापित किया गया था जिसकी अनुपालना में श्री लीलाधर द्वारा दिनांक 31.05.2018 को उक्त स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया गया।

विभागीय आदेश दिनांक 25.06.2018 द्वारा प्रार्थी को पुनः रामावि–गिरावडी, झुन्झुनु से रामावि हुकमपुरा–बामलास, जिला झुन्झनु स्थानान्तरित किया गया जिसके विरूद्ध प्रार्थी श्री लीलाधर द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं. 2097/2018 श्री लीलाधर बनाम श्रीमान निदेशक दायर की गई। अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 25.06.2018 को अपीलार्थी श्री लीलाधर के सम्बन्ध में अपास्त किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 31.07.2018 की अनुपालना में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 25.06.2018 को अपीलार्थी श्री लीलाधर की हद तक एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। उक्त आदेश के निरस्त किये जाने के फलस्वरूप श्री लीलाधर रामावि–गिरावडी जिला झुन्झुनु में प्रधानाध्यापक के पद पर यथावत कार्यरत रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–1/लीलाधर/अपील/2097/2018 दिनांक 13.08.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चुरू।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा झुन्झुनु।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी17–18/2017 दिनांक 25.09.2017 द्वारा श्रीमती मन्जू को पदौन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र में अंकित विकल्प के आधार पर राआउमावि–धनाऊ, सेडवा, बाडमेर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया था जिसके विरूद्व श्रीमती मन्जू द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका सं 2409/2018 मन्जू बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका सं 2409/2018 के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.02.2018. द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरण याचिका सं 9371/2014 शिव प्रसाद निमिवाल बनाम सरकार तथा याचिका सं 15668/2012 मोनिका मील बनाम उप निदेशक जयपुर में माननीय न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए प्रार्थी को अप्रार्थीगण के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने तथा अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उसे अप्रार्थीगण द्वारा 06 सप्ताह के भीतर विधि अनुसार कन्सीडर कर सकारण आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किये गए।

याचिका सं. 2409/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में याचिकार्थी मन्जू द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपना पदस्थापन अपने गृह जिले झुन्झुनु या इसके समीप अन्य जिले में पदस्थापित किये जाने की परिवेदना की गई।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शिव प्रसाद निमिवाल बनाम सरकार प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभागीय दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से परीक्षण किया गया। प्रार्थिया का पदस्थापन काउन्सलिंग के समय उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर किया गया था। काउन्सलिंग में रिक्तियों को विभागीय प्राथमिकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता के मद्देनजर ही प्रदर्शित किया जाता है। याचिकार्थी जो एक राज्य सेवा के अधिकारी हैं जिसे नियोक्ता द्वारा प्रशासनिक आधार पर/छात्र एवं राज्य हित में राज्य में कही पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अतः इस आधार पर चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण याचिकार्थी श्रीमती मन्जू, प्रधानाचार्या राआउमावि–धनाऊ, बाडमेर का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/मन्जू/याचिका/1486/2018 **दिनांक** 16.08.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चुरू/जोधपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा झुन्झुनु/बाडमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)